राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (42)ग्राविवि–5/सां./NLM/2018–19 जयपुर, दिनांक २२ फरवरी, 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर्यवेक्षकों (NLMs) द्वारा वर्ष 2017–18 (द्वितीय चरण) की कार्यशाला में प्रस्तावित बिन्दुओं की पालना बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 21.12.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग हेतु नियुक्त राष्ट्रीय स्तर पर्यवेक्षकों (NLMs) द्वारा दिये गये सुझावों के क्रम में बिन्दुवार, निम्नानुसार कार्रवाई करवाया जाना सुनिश्चित करें :–

1. **वार्षिक चयन सूची का प्रदर्शन** – योजनान्तर्गत सैक–2011 के डाटा के आधार पर तैयार स्थायी वरीयता सूची में से वार्षिक चयन सूची को प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन करावें।
2. **भूमि आवंटन** – योजनान्तर्गत जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार 55,405 भूमिहीन लाभार्थियों में से 25,104 को ही भूमि आवंटन किया गया है, अतः शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 16.01.2019 द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान बकाया भूमिहीन लाभार्थियों को नियमानुसार आवासीय भूखण्ड आंवटित कराना सुनिश्चित करे।
3. **अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस** –योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारो को अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, शुद्ध पेयजल, मनरेगा से देय 90 अकुशल मानव दिवसों, कैटल शेड एवं भूमि सुधार/वृक्षारोपण इत्यादि सुविधाएं नियमानुसार प्राथमिकता से उपलब्ध करावें।
4. **सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट** निदेशक, निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सम्पादित छः माही सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराते हुये, दिये गये निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें।
5. **शौचालय सुविधा** – योजनान्तर्गत पूर्ण आवासों में पात्र लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण किया जावें।

उक्तानुसार कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवावे, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अनुपालना रिपोर्ट भिजवायी जा सके।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

स्टेट नोडल अधिकारी–PMAY-G

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar SI\MS Word\NLM.docx